बाल विवाह

हम

हमारे बच्चे

और हमारे कर्तव्य

unicef
unite for children

बच्चे, विवाह और हम

''राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा ....''

अनुच्छेद 47 भारतीय संविधान

भारतीय संविधान की मूल आत्मा एक ऐसे कल्याणकारी, विकासपरक राष्ट्र के निर्माण को अभिप्रेरित करती है, जो अपने नागरिकों को शोषण–उत्पीड़न से मुक्त बेहतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले पोषण–युक्त स्वस्थ जीवन की सुविधा बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करती हो। आजादी के बाद की सरकारों ने इस दिशा में कई प्रयास किये हैं और विभिन्न विकासपरक प्रयासों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। जो नागरिकों के सशक्तीकरण और बेहतर जीवन जीने के प्रति प्रोत्साहित करते हों। समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों के प्रति भी सरकार ने जनोन्नमुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए जन गण के हाथ में व्यापक शक्तियाँ समाहित की हैं ताकि एक बेहतर वातावरण के निर्माण में सक्रिय व सक्षम सहयोग मिल सके।

महिलाओं एवं बच्चों के विकास को प्रथम आयाम मानते हुए न सिर्फ संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। बल्कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के प्रति विशेष पहल, कार्यक्रम और कानून बनाने के लिए निदेशित भी किया गया है। राज्य की सरकारों ने भी इस तथ्य को विकास की प्राथमिकता मानते हुए विभिन्न प्रयासों को मूर्त रूप प्रदान किया है।

बच्चों के विकास के संदर्भ में उनके सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न दुर्व्यवहारों, कुरीतियों और उत्पीड़न का ह्रास करने की कोशिश की गई है। समाज में व्यवहार परिवर्तन हेतु क्षमता विकसित करने, स्वशासन की हस्तक्षेपकारी भूमिका को सुनिश्चित करने और महिलाओं को परिवर्तन दूत के रूप में विकसित करने की कोशिश भी जारी है।

बच्चे

- बच्चों के संदर्भ में विकास की व्याख्या करते हुए **18 वर्ष** तक के आयु वर्ग को इस श्रेणी में रखा गया है और उनके समेकित विकास हेतु प्रयासों को निरूपित किया गया है। बच्चों के प्रति विभिन्न अवैज्ञानिक धारणाओं, कुत्सित परम्पराओं और दुर्व्यवहारों के सक्षम प्रतिकार हेतु वैश्विक दृष्टिकोण के साथ पहल की गयी है।

विवाह

- विवाह को प्राचीन काल से ही समाज के विकास का आधार माना गया है और इसे सामाजिक/धार्मिक/तथा कानूनी रूप से स्त्री एवं पुरुष को एक साथ रहने का संबंध माना जाता है। भारतीय परिपेक्ष्य में विवाह परिवार के विकास की अनिवार्य कड़ी मानी गई है और स्त्री पुरुष के संबंध को केवल इसी रूप में मान्यता दी गई है। हिन्दू धर्म में विवाह को मानव–जीवन के सोलह संस्कारों में से एक महत्त्वपूर्ण संस्कार माना गया है और इसे एक–दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व ग्रहण करने को लेकर चिन्हित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि विवाह के माध्यम से न सिर्फ स्त्री–पुरुष एक सूत्र में जुड़ते हैं बल्कि दो परिवार भी एक सामाजिक रिश्ते–संबंधों में जुड़ते हैं। इसी तरह इस्लामिक धार्मिक पद्धति में विवाह को एक समझौते के रूप में देखा गया है, जहाँ एक स्त्री और एक पुरुष अपनी समझ और विवेक से साथ जुड़ने, जीवन जीने का समझौता करते हैं और परिवार का निर्माण करते हैं।

बाल विवाह

- बाल विवाह का संबंध आमतौर पर भारत के कुछ समाजों में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है, जिसमें एक अवयस्क बच्चे (आमतौर पर 15 वर्ष से कम आयु की लड़की अथवा लड़का) का विवाह उससे ज्यादा उम्र के वयस्क व्यक्ति से किया जाता है। बाल विवाह की दूसरे प्रकार की प्रथा में दो बच्चों (लड़का एवं लड़की) के माता–पिता भविष्य में होने वाला विवाह तय करते हैं। इस प्रथा में बच्चों का विवाह बिना उनकी जानकारी के सम्पन्न करा दिया जाता है और प्रचलित परम्परा के अनुसार लड़की को लड़के के घर विदा करा दिया जाता है। पिता के लिए अपनी बेटी की शादी, दायित्व से मुक्ति पाना है और बेटी के लिए शादी के बाद उसका जीवन उस घर से बँध जाता है, जहाँ से उसका वैवाहिक संबंध जुड़ा है।

- बिहार में बाल विवाह एक प्रमुख सामाजिक समस्या के रूप में चिन्हित की गई है और गरीबी का कारक मानी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे – 4 की बात करें तो बिहार में 39.1 फिसदी लड़कियों का बाल विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है।

- यूनिसेफ की रिपोर्ट 'दुनिया में बच्चों की स्थिति' की मानें तो बाल विवाह की मुख्य वजह माता–पिता की आर्थिक विवशता, अपनी बेटी पर होने वाले यौन हमलों और विवाह पूर्व संबंधों से बचने की क्रिया है। साथ ही ऐसा मानना है कि लड़िकयों का कम उम्र में विवाह उनकी पति के प्रति आज्ञाकारिता को बढ़ाता है।

- विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि राज्य में 12.2 फीसदी लड़कियाँ 15–19 वर्ष की उम्र में ही माँ बन जाती हैं। यह आँकड़ा गाँवों में काफी ज्यादा देखा गया है तथा यह भी पाया गया कि ये लड़कियाँ अपनी उम्र बताने में अक्षम होती हैं। इन लड़कियों में प्रसव के दौरान मौत की संभावना पाँच गुणा ज्यादा होती है तथा होने वाले शिशु भी शारीरिक, मानसिक और पोषण के स्तर पर कमजोर जन्म लेते हैं। जबकि 19 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की प्रसूता में ऐसी संभावनाएँ प्रायः कम देखी जाती हैं। यही वजह है कि बिहार में प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशु में से 48 जन्म के तुरन्त बाद मर जाते हैं। (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे – 4)
- यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी चिन्हित किया है कि कम उम्र में होने वाली शादियों में घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न आदि की समस्याएँ ज्यादा देखी गई हैं, साथ ही उन्हें प्राथमिक शिक्षा तक से वंचित होना पड़ता है।

बाल विवाह और प्रभाव

- विधि विभाग, भारत सरकार की रिपोर्ट 'प्रापोजल टू अमेंड दि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट 2006 एण्ड अदर एलाइड लॉज' के अनुसार बाल विवाह के दुष्परिणामों में शिक्षा व जागरूकता का अभाव, कानूनों का शिथिल क्रियान्वयन और शासनतंत्र में इच्छाशक्ति व साहस का अभाव भी इस कुरीति के बने रहने की अहम वजह रही है।
- जो लड़कियाँ कम उम्र में विवाहित हो जाती हैं, उन्हें अक्सर कम उम्र में सेक्स की शुरुआत एवं गर्भधारण करना पड़ता है। जिससे उनमें गर्भधारण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएँ होने की प्रबल सम्भावना होती है, जिनमें एच आई वी एवं ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला जैसी गंभीर बीमारियाँ शामिल हैं।
- कम उम्र की लड़कियाँ, जिनके पास समझ, शक्ति एवं परिक्वता नहीं होती है, अक्सर घरेलू हिंसा, सेक्स संबंधी ज़्यादतियों एवं सामाजिक बहिष्करण की शिकार होती हैं।
- कम उम्र में विवाह प्रायः लड़कियों एवं लड़को को शिक्षा या अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित करता है जो उनकी निरंतर गरीबी का कारण बनता है।
- बाल विवाह लिंग भेद, बीमारी एवं गरीबी के भँवर जाल में फँसा देता है।

मिथक

- रूढ़िवादी समाज में यह समझा जाता है कि कन्यादान से पिता को पुण्य मिलता है और अविवाहित कन्या के पिता को पाप लगता है। लोगों का मानना है अरजस्वला

कन्या का दान करना चाहिए, क्योंकि अविवाहित कन्या का हर ऋतुकाल कन्या को भ्रूण हत्या का पाप देता है।

- विवाह के बाद लड़की अपने पिता का घर छोड़ देती है और सम्पति पर स्वामित्व उस घर के लड़कों का ही होता है।
- छोटी उम्र में विवाह कर देने में खर्च कम आता है और घर में दो–चार बेटियाँ हों तो एक ही खर्च में सारे कर्तव्य निवर्हन हो जाते हैं यानी सारी लड़कियों का विवाह एक साथ करा दिया जाता है।
- जल्दी विवाह से माता–पिता बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं तथा लड़की ससुराल को यथार्थ मानकर अच्छी तरह घुल–मिल जाती है और विवाह पूर्व मातृत्व से भी उसे बचा लिया जाता है।

मानवीय और नागरिक अधिकारों का हनन

कम उम्र में विवाह के परिणाम वर–वधू दोनों को भुगतने पड़ते हैं। कभी–कभी तो ये परिणाम इतने भयानक होते हैं कि जिन्दगी नासूर बन जाती है। जैसे वर की अप्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु बाल वैध्यव जैसी गंभीर समस्या को जन्म देती है।

- मानवीय अधिकारों की बात करें तो भी बाल विवाह इन अधिकारों का निर्मम उल्लंघन है। सभी बच्चों को परिपूर्ण देखभाल व सुरक्षा का अधिकार होता है। भले ही वे किसी भी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों न हों। प्रत्येक बच्चे को एक पूर्ण और परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अधिकार होता है जो बाल विवाह की वजह से क्षत्–विक्षत् हो जाता है।
- कम उम्र में बाल विवाह से संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है। शादी की वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं जिससे उनके सामने अच्छे रोज़गार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़्यादा संभावना नहीं बचती है।

बाल विवाह और कानून

भारत सरकार ऐसी कई अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर दस्तखत कर चुकी है जिनमें बच्चों को सभी प्रकार के उत्पीड़न व शोषण से बचाने और उन्हें सम्मानजनक बचपन का अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं। इन संधियों में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी), महिला विरोधी भेदभाव उन्मूलन कन्वेशन (सीडा–सीईडीएडबल्यू) और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (ईएससीआर) प्रमुख हैं।

संवैधानिक प्रणाली के जरिए भारतीय राज्य विभिन्न स्तरों पर यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी सामाजिक–आर्थिक स्थिति से आने वाले और किसी भी सांस्कृतिक व भौगोलिक पृष्ठभूमि के बच्चों के मूलभूत अधिकारों पर किसी तरह की आँच न आए।

बाल विवाह प्रथा की असरदार रोकथाम के लिए एक समग्र व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2007 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अधिसूचित किया गया और 1 नवम्बर 2007 से यह लागू है।

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की मूल प्रस्थापना यह कि (अनुच्छेद 2 (ए) के अनुसार)**

  किसी भी बच्चे का विवाह करना अपराध है। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का बच्चा या नाबालिग होता है।

- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तीन श्रेणियों में प्रावधानों को व्याख्यायित करता है –**

  क. रोकथाम   ख. सुरक्षा   ग. अपराधियों को सज़ा

क. रोकथाम

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 15 के तहत बाल विवाह करवाना या रचाना एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है।
- अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य बाल विवाह को रोकने, पीड़ित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों को सजा देने तथा संवेदीकरण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

  इस संदर्भ में बिहार सरकार ने बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 की धारा के तहत अनुमण्डलाधिकारी को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी नामित किया गया है।
- अनुच्छेद 13 में अदालतों को बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 12 एवं 14 में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि बाल विवाह रोकने के लिए जारी की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया जाता है या शादी के नाम पर बच्चे को फुसला कर, जबरन या धोखे से उसके वैधानिक अभिभावकों से दूर कर दिया गया है या शादी के लिए उसे खरीदा अथवा बेचा गया है तो ऐसे बाल विवाह को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी घोषित कर दिया जाएगा।
- अनुच्छेद 10 के तहत बाल विवाह करवाने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 13 (4) एवं 16 (3) के तहत बाल विवाह निषेध पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को विशेष संवेदीकरण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए निदेशित किया गया है।

  बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 की धारा 7 के तहत भी बाल विवाह से होने वाली बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयोजनार्थ तथा बाल विवाह पर समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए –

क. जागरूकता अभियान एवं प्रचार अभियान चलाना

ख. शैक्षिक संस्थानों का भ्रमण आयोजित करना और

ग. इलाके के निवासियों के लिए बैठक आयोजित करना निदेशित किया गया है।

ख. सुरक्षा

- अनुच्छेद 3 (2) एवं 3 (3) के तहत बाल विवाह से मुक्ति के अधिकार दिये गए हैं। जिन बच्चों का यदि विवाह कर दिया गया है, कानून उन्हें ऐसे विवाह से मुक्ति पाने का अधिकार देता है। यदि वे चाहें, तो विवाह को अकृत और शून्य घोषित करवा सकते हैं।
- अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई कि अवयस्क विवाहिता को गुज़ारे–भत्ता और आवास की व्यवस्था वर पक्ष के द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
- अनुच्छेद 5 एवं 6 में यह स्पष्ट किया गया कि बाल विवाह से पैदा होने वाले बच्चों को उस दम्पति के कानूनी संतान की मान्यता दी गई है और उनके कस्टडी व गुजारे भत्ते के लिए प्रावधान किये गये हैं।
- अनुच्छेद 16 (3) (जी) के तहत बाल विवाह से मुक्त कराये गए बच्चों को चिकित्सकीय, वैधानिक सहायता, परामर्श, पुनर्वास सहायता सहित सभी तरह की सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था दी गई है।
- अनुच्छेद 16 (3) (जी) के तहत बाल विवाह निषेध पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) को निदेशित किया गया है कि वे बाल विवाह के पीड़ित/प्रभावित बच्चों को सहायता करने एवं कानूनी सहायता लिए निदेशित किया गया है।
- किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुच्छेद 31 के तहत पीड़ित/प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को निदेशित किया गया है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के तहत बाल विवाह को संज्ञेय अपराध माना गया है और यह व्याख्या की गई है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की किसी भी प्रकार से शादी की जाती है तो यह गैर कानूनी है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है।

ग. सजा का प्रावधान

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 9 के तहत यदि 18 साल से अधिक उम्र का कोई पुरुष किसी अवयस्क बच्ची से विवाह करता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 10 के तहत बाल विवाह को प्रोत्साहित करने अथवा बाल विवाह सम्पन्न करवाने वाले व्यक्ति/संगठन/समूह के लिए भी सज़ा का प्रावधान है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 11 के तहत अभिभावक, माता–पिता या किसी भी अन्य व्यक्ति/संगठन/संस्थान सहित को बाल विवाह सम्पन्न कराने अथवा प्रोत्साहित करने पर सज़ा का प्रावधान है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 11 (1) के तहत उपर्युक्त सभी स्थितियों में दो वर्ष तक के सश्रम कारावास या रुपये एक लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, किन्तु महिला अपराधी की स्थिति में उन्हें जेल/कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है। महिला अपराधी केवल रुपये एक लाख तक के जुर्माना की सजा की भागी हो सकती है।

बाल विवाह प्रतिषेध कानून का अनुपालन

- बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कुछ पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया है, जो बाल विवाह के निषेध हेतु सक्षम पहल कर सकते हैं:–

1. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी)
2. जिला पदाधिकारी
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
4. पुलिस
5. पारिवारिक अदालतें
6. बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के अनुच्छेद 9 (1) में वर्णित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच।

- बाल विवाह के पहले या बाद में कोई भी व्यक्ति इस घटना की सूचना बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थाना या ग्राम पंचायत के सरपंच को मौखिक या लिखित या डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है। – बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के अनुच्छेद 9 (1)
- बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी से भिन्न अधिकारी बाल विवाह अनुष्ठान की संभावना की सूचना प्राप्त करने पर ऐसी सूचना रिपोर्ट के साथ, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को देंगे, उसके बाद वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करेगा। – बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के अनुच्छेद 9 (2)
- जिला पदाधिकारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुच्छेद 13 (5) के अधीन आदेश पारित कर सभी या किसी थाना को निर्देश दे सकते हैं कि वह धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखे तथा बाल विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने और प्रतिषेध करने के लिए उचित कार्रवाई करें, विशेषकर वैसे विशेष अवसरों पर जब बड़ें पैमाने पर बाल विवाह का अनुष्ठापन किया जाता है। – बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के अनुच्छेद 9 (3)

बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के कर्तव्य :

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 16 (3) क तथा बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के अनुच्छेद 10 के तहत

1. अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति तथा कुटुम्बों या उसके साथ आने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानकारी देना,
2. राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार के माध्यम से व्यथित व्यक्ति को सहायता प्रदान करना,
3. व्यथित व्यक्ति को अश्रायालय के बारे में जानकारी देना और यदि अपेक्षा की जाए तो न्यायालय कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान या अन्यथा व्यथित व्यक्ति की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ आश्रयालयों में उनके आश्रय की व्यवस्था करना,

4. अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में न्यायालय में आवेदन भरने में व्यथित व्यक्ति की सहायता करना,

5. बाल विवाह के अनुष्ठापन की संभावना समाप्त करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में निगरानी रखना,

6. यदि उसे किसी बाल विवाह के अनुष्ठापन की सूचना मिले, जिसमें बच्चा / बच्ची अवयस्क हों, तो अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम 1956 (1956 का 104) के अधीन नियुक्त विशेष पुलिस पदाधिकारियों सहित पुलिस प्राधिकारियों को सूचित करना यदि–

- विधि पूर्ण अभिभावक से ले लिया गया हो या फुसला कर ले जाया गया हो, या
- बल पूर्वक बाध्य किया गया हो या
- किसी स्थान से जाने के लिए किसी प्रवंचनापूर्ण उपाय से उत्प्रेरित किया गया हो, या
- विवाह के प्रयोजनार्थ बेचा गया हो और विवाह के किसी स्वरूप को पूरा करने के लिए बाध्य किया गया हो, या
- विवाहित हो और उसके बाद अनैतिक प्रयोजन के लिए बेचा गया हो या दुव्यापारित या उपयोग किया गया हो,

7. बाल विवाह से होने वाली बुराइयों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयोजनार्थ तथा बाल विवाह पर समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए –

- जागरूकता अभियान एवं प्रचार–प्रसार अभियान चलाना।
- शैक्षिक संस्थानों का भ्रमण आयोजित करना।
- सामुदायिक बैठक आयोजित करना।

8. यथास्थिति, जिला न्यायालय, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेजों का अभिलेख और प्रतियाँ संधारित करना।

9. यदि बाल विवाह के किसी या दोनों पक्षों द्वारा अनुरोध किया जाए, तो बाल विवाह को निष्प्रभावी करने की कार्यवाई के दौरान जिला न्यायालय के समक्ष

रखने के लिए विवाह के अवसर पर उनके द्वारा अन्य पक्ष से प्राप्त धन, बहुमूल्य वस्तुओं, जेवरातों और उपहारों की सूची बनाने में सहायता करना।

बाल विवाह घटित होने की रिपोर्ट :

बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के अनुच्छेद 11 के तहत –

1. यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि बाल विवाह अनुष्ठापित किया गया है या किया जा रहा है तो वह इसकी सूचना पत्र, ई मेल या दूरभाष या किसी अन्य रीति से उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी) को दे सकेगा।

2. सूचना प्राप्त होने पर कि बाल विवाह अनुष्ठापित किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी) फारम 1 में बाल विवाह घटना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा प्रतियाँ उस थाना के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसकी अधिकारिता वाली स्थानीय सीमा के अन्तर्गत अभिकथित बाल विवाह अनुष्ठपित हुआ हो या हो रहा हो या होने वाला हो।

3. बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी) बाल विवाह से संबंधित सूचना को अभिलेखित करने से इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि अभिकथित बाल विवाह का अनुष्ठापन उसके क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्र में हुआ है या हो रहा है या होने वाला है। वह ऐसी सूचना को अभिलेखित करेगा और उसे तुरन्त संबद्ध बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा। संबद्ध बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, जिसे ऐसी सूचना अग्रसारित की जाए फारम 1 में सूचना अभिलिखित करेगा।

4. बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी बाल विवाह घटना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को मुक्त पत्र देगा।

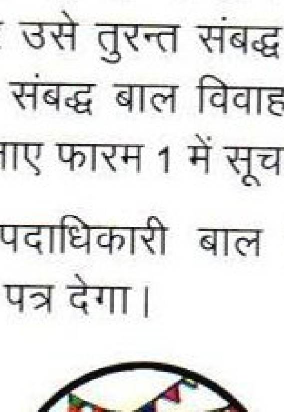

हमारी भूमिका

बाल विवाह निषेध पदाधिकारी : बाल विवाह निषेध पदाधिकारी बाल विवाह को रोकने में सबसे सक्षम और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। आपके पास बाल विवाह से पहले और बाद में भी पीड़ित बच्चे की ओर से हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होता है।

- यदि यह ज्ञान हो या सूचित हो कि निकट भविष्य में कोई बाल विवाह होने वाला है तो आप दोनों पक्षों से घर पर मिलें और अभिभावकों को इस बात से अवगत कराएँ कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। आपको अभिभावकों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे बाल विवाह न करें।
- संबंधित अभिभावकों/रिश्तेदारों/समुदाय के बड़े–बूढ़ों से भी बात करनी चाहिए और उन्हें भी बाल विवाह न करने के लिए समझाना चाहिए। संभावित वर–वधू से बात कर बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समझाना चाहिए और विवाह न करने के लिए परिवार को मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- पंचायत, बाल सुरक्षा समिति (पंचायत स्तर) स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों, शिक्षकों, अधिकारियों, धार्मिक गुरुओं को साथ लेकर बाल विवाह न करने हेतु परिवार को प्ररित करना चाहिए। लगातार पूरी स्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए और विपरीत स्थिति देखते ही पुलिस के माध्यम से शिकायत दर्ज करा दोषियों को सजा देनी चाहिए।
- आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 151 के आलोक में किसी भी संज्ञेय अपराध में पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी का पूरा अधिकार है। विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए और निषेधाज्ञा के लिए निवेदन करना चाहिए।
- बाल विवाह सम्पन्न हो रहने की स्थिति में आपको विवाह के बारे में सभी सक्षम सबूत इकट्ठा कर लेना चाहिए, जैसे विवाह का निमंत्रण–पत्र, फोटोग्राफ्स, विवाह के संबंध में किए गए भुगतान आदि।

- ऐसे दोषियों की सूची बनानी चाहिए जो विवाह को जोड़ा बैठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहित करने के जिम्मेदार हों या ऐसी शादी में शामिल हों।

- पुलिस की सहायता से रिपोर्ट दर्ज करा कर दोषियों को गिरफ्तार करा देना चाहिए, लेकिन यह ध्याँन रहे कि महिलाओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। महिला अपराधियों को सीधे अदालत में जुर्माना लगाया जा सकता है।

- यदि बच्चे के साथ विवाह को लेकर कोई जबरदस्ती की जा रही हो, डरा–धमका कर जबरन अथवा किसी लोभवश बाल विवाह किया जा रहा हो और साथ ही यह प्रतीत हो कि बच्चे को जीवन, शोषण–उत्पीड़न का खतरा हो सकता है, तो तुरंत ही बच्चे को सुरक्षा व सहायता प्रदान करनी चाहिए। बच्चे को बाल कल्याण समिति (यदि हो तो, अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बीच की अवधि में बच्चे को यथा कार्यरत बाल–गृह अथवा महिला विकास निगम द्वारा संचालित अल्पावास गृह (केवल किशोरियों के लिए) में रखा जा सकता है।

पुलिसः बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होते ही आपको एक पुलिसकर्मी के रूप आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में तय प्रणाली के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए।

- प्राप्त शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर मामले की जाँच करें।

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तथा बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के तहत बाल विवाह के संबंध में किसी भी रूप में दर्ज शिकायत मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक शिकायत मानी जाएगी और अविलम्ब एफआईआर में तब्दील हो जाएगी।

- प्राप्त मामले को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी) की जानकारी में लाना चाहिए ताकि बाल विवाह की घटना के बारे में सबूत इकट्ठा किये जा सकें। साथ ही जिला पदाधिकारी को भी जानकारी देनी चाहिए ताकि निषेधाज्ञा की प्रक्रिया हो सके।

- दोषियों को गिरफ्तार करें क्योंकि यह अपराध कानूनन संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है। इस कानून के तहत बच्चे पीड़ित माने गए हैं। इसलिए उन्हें कभी भी गिरफ्तार न करें और न हीं हथकड़ी लगाएँ। महिला अपराधी की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार न करें।

जिला पदाधिकारी : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 13 (4) के तहत सामूहिक बाल विवाह की स्थिति में आपको बाल विवाह निषेध अधिकारी का भी दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत ऐसी किसी भी घटना के विषय में निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इसके साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तथा बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के क्रियान्वयन की जवाबदेही आप पर है।

पंचायत राज सदस्य : पंचायत राज शासन की सबसे निचली, किन्तु महत्त्वपूर्ण संस्था है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 (गग) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को महिला एवं बाल कल्याण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहभागिता तथा उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के उन्नयन हेतु कार्यो में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार पंचायत समिति (धारा 47(20)) और जिला परिषद् (धारा 73(20)) को भी अधिनियम के तहत महिला एवं बाल कल्याण के कार्यों हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है। साथ ही बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अध्याय VI के तहत पंचायत स्तर पर न्यायिक कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है और ग्राम कचहरी बाल विवाह जैसी समस्या के प्रतिषेध का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली 2010 के अनुच्छेद 9(1) में भी ग्राम कचहरी के प्रधान 'सरपंच' को बाल विवाह की सूचना प्राप्त कर अग्रसारित करने वाले माध्यम के रुप में चिन्हित किया गया है। इस प्रकार पंचायत राज प्रतिनिधि बाल विवाह प्रतिषेध के महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं। चूँकि पंचायत प्रतिनिधि आमजनों के बीच रहने वाले स्थानीय सामुदायिक समूह के होते हैं, इसलिए उनके सक्षम प्रतिकार एवं बाल विवाह को लेकर व्यापक समझ बनाने में बड़ी भूमिका हो सकती है।

- आप ग्राम सभा की बैठकों में बाल विवाह से होने वाली हानियों और दुष्प्रभावों की चर्चा समुदाय के बीच करें। साथ–ही–साथ अपने बच्चों की व्यापक शिक्षा एवं विकास हेतु प्रयासों के प्रति समुदाय को जागरूक करें।
- बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित परिवार के घर पहुँच कर अभिभावकों को समझाएँ और ऐसा न करने की सलाह दें। नहीं मानने पर स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) को तुरंत सूचना दें और बाल विवाह रुकवाने में उनका सहयोग करें।
- ऐसे अवसर या कार्याधिकार क्षेत्र का कोई स्थान विशेष जहाँ बाल विवाह अधिष्ठापन की कोई परम्परा अथवा सूचना हो, तो जिला अधिकारी / बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के सहयोग से निषेधाज्ञा लगावाने व अनुष्ठापन रोकने में सहयोग दें।

शिक्षक : भारतीय संस्कृति में शिक्षकों का स्थान ईश्वर से भी पहले माना गया है और आप एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माता होते हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों व उनके अभिभावकों को बाल विवाह से होने वाले कुपरिणामों के प्रति उन्हें शिक्षित करें और बाल विवाह के प्रति व्यवहार परिर्वतन में समाज का नेतृत्व करें।

- विद्यार्थियों के संबंध में प्राप्त किसी भी बाल विवाह की सूचना पर तुरन्त पहल करें और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, सक्षम सरकारी पदाधिकारी, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से चिन्हित परिवार को समझाने का प्रयास करें और बाल विवाह को रोकने में सहयोग करें।
- नहीं मानने पर स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) को तुरंत सूचना दें और बाल विवाह रुकवाने में उनका सहयोग करें।

धर्मगुरु : किसी भी बाल विवाह की सूचना पर तुरन्त पहल करें और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, सक्षम सरकारी पदाधिकारी, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से चिन्हित परिवार को समझाने का प्रयास करें और बाल विवाह को रोकने में सहयोग करें। नहीं मानने पर स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) को तुरंत सूचना दें और बाल विवाह रुकवाने में उनका सहयोग करें।

स्वयं सहायता समूह : स्वयं सहायता समूह बाल विवाह के प्रतिषेध में एक असरकारक तत्त्व की भूमिका निभा सकता है।

- समूह की नियमित होने वाली बैठकों में बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों पर चर्चा कर अपने सदस्य को शिक्षित कर सकते हैं।
- अपने घरों के आस–पास बाल विवाह की किसी भी संभावना को समाप्त करने के उद्‌देश्य से आप पड़ोस की बहनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के कानूनी प्रावधानों के बारे में बता सकती हैं। उन्हें बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए चलाये जा रहे योजनाओं, कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने की जानकारी दे सकती हैं।
- बाल विवाह की कोई भी सूचना प्राप्त होने पर आप सरपंच, बाल सुरक्षा समिति को सूचित कर सकते हैं और साथ ही परिवार वालों को यह समझाने की कोशिश कर सकती हैं कि अपने बच्चे के जीवन को बर्बाद न करें। उसके पढ़ने, खेलने और बढ़ने की उम्र में पारिवारिक दायित्व का बोझ न डालें।

- यदि परिवार न माने तो, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, सक्षम सरकारी पदाधिकारी, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से चिन्हित परिवार को समझाने का प्रयास करें और बाल विवाह को रोकने में सहयोग करें।
- नहीं मानने पर स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) को तुरंत सूचना दें और बाल विवाह रुकवाने में उनका सहयोग करें।

आँगनबाड़ी सेविका : आप समुदाय में, समुदाय के लिए सरकार की ओर से महत्त्वपूर्ण कड़ी है और बच्चों के विकास लिए प्रयत्नशील हैं। बाल विवाह के प्रतिषेध में आप महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

- नियमित होने वाली माता बैठकों में बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों पर गंभीर चर्चा करें, माताओं एवं बुजुर्ग महिलाओं को यह समझाने की कोशिश करें कि बाल विवाह एक सामाजिक और कानूनी अपराध है।
- बाल विवाह होने की स्थिति में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, सक्षम सरकारी पदाधिकारी, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से चिन्हित परिवार को समझाने का प्रयास करें और बाल विवाह को रोकने में सहयोग करें। नहीं मानने पर स्थानीय थाना एवं बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी (अनुमण्डलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी) को तुरंत सूचना दें और बाल विवाह रुकवाने में उनका सहयोग करें।

अभिभावक : बच्चे माता–पिता के सपनों की साकार कृति होते हैं और स्वयं की प्रतिकृति होते हैं। उनका सर्वांगीण विकास उनका अधिकार है और आपकी जिम्मेवारी है। एक सफल–सक्षम नागरिक के साथ–साथ एक सुयोग्य संतान के निर्माण में आपकी भूमिका अतिमहत्त्वपूर्ण है। दुनिया के किसी धर्म, किसी शास्त्र ने बाल विवाह को सही नहीं माना है। न ही इससे किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ किसी को प्राप्त होता है, बल्कि अपने संतान का जीवन बर्बाद करने का पाप लगता है। आर्थिक तंगी और दहेज जैसी कुरीतियों के डर से कम उम्र में अपने संतान की शादी कोई बुद्धिमानी नहीं बल्कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने के समान है।

- अपने बच्चे को आगे बढ़ने, पढ़ने में सहयोग दें, न कि विवाह कर पैरों में बोझ की बेड़ी लगा दें। किसी भी प्रकार के प्रलोभन, डर, धमकी और शोषण का विरोध करें और सरकारी अधिकारी, मुखिया, सरपंच आदि को खबर दें। पूरा समाज, सरकार आपके साथ है।

unicef
unite for children

महिला विकास निगम, बिहार

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800 001 (बिहार)
दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, 2537 843, वेबसाईट : www.wdcbihar.org.in

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com